म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/ख/674/762 भोपाल, दिनांक 12/06/2019

::परिपत्र::

प्राय: देखने में आया है कि मंडी बोर्ड मुख्यायल एवं आंचलिक कार्यालयों, तकनीकि कार्यालयों एवं प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में कार्यरत कुछ अधिकारी बगैर अवकाश स्वीकृत किये अवकाश पर चले जाते हैं। जिससे कार्यालयीन महत्वपूर्ण कार्यो पर विपरीत प्रभाव पडने के साथ–साथ उनके अचानक अवकाश पर चले जाने से कई महत्वपूर्ण कार्यालयीन कार्य किये जाने में अनावश्यक रूप से विलंब की स्थिति निर्मित हो रही हैं।

अत: म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय एवं समस्त आंचलिक कार्यालयों, तकनीकि कार्यालयों तथा प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में कार्यरत प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रबंध संचालक के बगैर अनुमति/अवकाश स्वीकृति के मुख्यालय नहीं छोडेगे।

अत: उपरोक्त निर्देशों का कडाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त सह–प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/ख/674/763 भोपाल, दिनांक 12/06/2019

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।

1 निज सचिव प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणप बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

2 अपर संचालक (समस्त), म.प्र. राज्य कृषि विपणप बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

3 संयुक्त संचालक/उप संचालक कार्यालय संयुक्त संचालक, मंडी बोर्ड ––––––––/कार्यपालन यंत्री तकनीकी संभाग––––––––––(समस्त) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशो का आपके अधीनस्थ कार्यालयों में भी कडाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित कराया जावे।

4 संयुक्त संचालक/उप संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणप बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

5 सचिव कृषि उपज मण्डी समिति ....जिला..........................(समस्त) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशो का आपके अधीनस्थ कार्यालयों में भी कडाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित कराया जावे।

आयुक्त सह–प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

Rajesh_Paripathr